न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : श्री अतुल प्रकाश आई.ए.एस.

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 54/2019 Gcms No. 2019/00276

दायरा तिथि : 06.08.2019

प्राथमिक डिक्री दिनांकः 04.08.2021 **फाईनल डिक्री दिनांक** 22-12-2021

वादीगण :–

1. मदनसिंह पुत्र जोरसिंहजी
2. नरपतसिंह पुत्र जोरसिंहजी जातिगण राजपुत
   निवासीगण दुदनी तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. भंवरसिंह पुत्र जगतसिंहजी
2. कानसिंह पुत्र जगतसिंहजी
3. पदमसिंह पुत्र जगतसिंहजी
4. इन्दरसिंह पुत्र जगतसिंहजी तमाम जातिगण राजपुत
   निवासीगण दुदनी तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)
5. तहसीलदार (भूमिधारी) बाली जरिये राजस्थान सरकार

उपस्थिति :–

1. श्री नरपतसिंह चौहान — अभिभाषक वादीगण की ओर से
2. श्री जोगेन्द्रसिंह चौहान — अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 02 से 04 की ओर से
3. श्री नरेन्द्र चौहान नायब तहसीलदार.................. — पेरोकार सरकार

दिनांक : 22-12-2021

–:: निर्णय ::–

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। वादीगण ने ग्राम दुदनी (बाहरी क्षेत्र) पटवार हल्का दूदनी तहसील बाली में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 04 के संयुक्त सह खातेदारी भूमि खसरा नंबर 573, 574, 574/734, 600/704, 602 कुल खसरा–05 कुल रकबा 3.61 हैक्टर किस्म बारानी सोयम कुल लगानी 14.44 रूपये के संबध में वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्व प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर वादग्रस्त भूमि में वादीगण का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या–01 से 04 का 1/2 हिस्सा अनुसार बाई मिट्‌स एण्ड बाऊण्डस के विभाजन की डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। अपने वाद पत्र के समर्थन में वादीगण द्वारा बतौर अभिलेखीय साक्ष्य वर्णित भूमि की जमाबंदी संवत् 2070 से 2073 की प्रमाणित प्रति, प्रस्तुत की गई।

प्रकरण में प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये जाने पर प्रतिवादी संख्या–01 व 03 के सम्मन लेने से इन्कार की रिपोर्ट के साथ प्राप्त हुये। प्रतिवादी संख्या 02 से 04 की ओर से वकील श्री जोगेन्द्रसिंह चौहान ने वकालतनामा प्रस्तुत किया, परन्तु प्रतिवादी संख्या–01 वकालतन/असालतन अनुपस्थित रहने से प्रतिवादी संख्या–01 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती हैं। प्रतिवादी संख्या 02 से 04 के अधिवक्ता द्वारा भी पर्याप्स समय अवसर के जबावदावा प्रस्तुत नहीं करने से तथा दिनांक 4.08.2021 को रेकर्ड में दर्ज हिस्सा के अनुसार विभाजन के लिये सहमत होने पर उपस्थित वकुलाय की प्राथमिक डिक्री जारी किये जाने बाबत् बहस सुनी गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् दिनांक 04.08.2021 को वादग्रस्त भूमि में वादीगण का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या–01 से 04 का 1/2 हिस्सा अनुसार बाई मिट्‌स एण्ड बाऊण्डस के विभाजन की डिक्री जारी की गई। प्राथमिक डिक्री आदेश की पालना में तहसीलदार, बाली ने अपने कार्यालय पत्रांकः प्रगासअ/भू.अ./2021/286 दिनांक 21.10.2021 से वादग्रस्त भूमि का पक्षकारो में विभाजन करते हुये निम्नानुसार रिपोर्ट प्रस्तुत की :–

क्रं. सं.	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा	किस्म	लगान	नक्शे में दर्शित रंग
01	मदनसिंह पुत्र जोरसिंह नरपतसिंह पुत्र जोरसिंह कौम राजपुत सा. देह खातेदार	574/734 574 602 573/1	0.60 हैक्टर 0.70 हैक्टर 0.25 हैक्टर 0.25 हैक्टर	बारानी सोयम बारानी सोयम बारानी सोयम बारानी सोयम	2.40 2.80 1.00 1.00	पीला
		04	1.80 हैक्टर		7.20	
02	भंवरसिंह पुत्र जगतसिंह कानसिंह पुत्र जगतसिंह पदमसिंह पुत्र जगतसिंह इन्दरसिंह पुत्र जगतसिंह कौम राजपुत सा. देह खातेदार	573 600/704 602/1	0.67 हैक्टर 0.89 हैक्टर 0.25 हैक्टर	बारानी सोयम बारानी सोयम बारानी सोयम	2.68 3.56 1.00	हरा
		03	1.81 हैक्टर		7.24	

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 54/2019 Gcms No. 2019/00276
अनवान मदनसिंह वगैरा बनाम भंवरसिंह वगैरा
अंतर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रकरण में तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट प्राप्त होने पर उभय पक्ष वकुलाय की बहस सुनी गई। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् जाहिर हैं कि प्रस्तुत रिपोर्ट जारी प्राथमिक डिक्री के अनुसार ही है तथा प्रस्तुत नजरी नक्शा के अनुसार प्रत्येक पक्ष के हिस्से बंट की भूमि में आवागमन के लिये रास्ता ईत्यादि की सुविधाएँ मौजुद हैं। जिससे प्रकरण में तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट के अनुसार फाईनल डिक्री जारी किया जाना न्यायोचित है। अतः पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् ग्राम दुदनी (बाहरी क्षेत्र) पटवार हल्का दूदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 573, 574, 574/734, 600/704, 602 कुल खसरा-05 कुल रकबा 3.61 हैक्टर किस्म बारानी सोयम कुल लगानी 14.44 रूपये के संबध में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या– 01 से 04 के मध्य तहसीलदार, बाली से प्राप्त विभाजन रिपोर्ट के अनुसार टिनेन्सी एक्ट की धारा 53 के तहत निम्नानुसार विभाजन की फाईनल डिक्री जारी की जाती हैः–

क्रं. सं.	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा	किस्म	लगान	नक्शे में दर्शित रंग
01	मदनसिंह पुत्र जोरसिंह नरपतसिंह पुत्र जोरसिंह कौम राजपुत सा. देह खातेदार	574/734 574 602 573/1	0.60 हैक्टर 0.70 हैक्टर 0.25 हैक्टर 0.25 हैक्टर	बारानी सोयम बारानी सोयम बारानी सोयम बारानी सोयम	2.40 2.80 1.00 1.00	पीला
		04	1.80 हैक्टर		7.20	
02	भंवरसिंह पुत्र जगतसिंह कानसिंह पुत्र जगतसिंह पदमसिंह पुत्र जगतसिंह इन्दरसिंह पुत्र जगतसिंह कौम राजपुत सा. देह खातेदार	573 600/704 602/1	0.67 हैक्टर 0.89 हैक्टर 0.25 हैक्टर	बारानी सोयम बारानी सोयम बारानी सोयम	2.68 3.56 1.00	हरा
		03	1.81 हैक्टर		7.24	

तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। लगान राशि 14.44 रूपये के पांच गुणा राशि पर देय मुद्रांक पेश होने पर नियमानुसार फाईनल डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय व डिक्री अनुसार रेकर्ड में अमल दरामद के साथ नक्शे में तरमीम के लिये तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, दूदनी को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(श्री अतुल प्रकाश)
आई.ए.एस.
पदेन सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली

निर्णय आज दिनांक 22-12-2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पदेन सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner